

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 61

विधि और न्याय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2950.12	6.82	2956.94	5011.99	88.01	5100.00	4032.97	30.32	4063.29	3072.39	1071.27	4143.66
<i>वसूलियां</i>	-7.75	...	-7.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2942.37</b>	<b>6.82</b>	<b>2949.19</b>	<b>5011.99</b>	<b>88.01</b>	<b>5100.00</b>	<b>4032.97</b>	<b>30.32</b>	<b>4063.29</b>	<b>3072.39</b>	<b>1071.27</b>	<b>4143.66</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	153.52	...	153.52	221.43	0.32	221.75	194.33	0.32	194.65	209.69	0.27	209.96
2. कर न्यायाधिकरण	65.30	6.82	72.12	73.48	87.69	161.17	85.01	30.00	115.01	98.35	71.00	169.35
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>218.82</b>	<b>6.82</b>	<b>225.64</b>	<b>294.91</b>	<b>88.01</b>	<b>382.92</b>	<b>279.34</b>	<b>30.32</b>	<b>309.66</b>	<b>308.04</b>	<b>71.27</b>	<b>379.31</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन</b>												
3. कानूनी सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन	...	...	...	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.50	...	9.50
4. ई-कोर्ट फेज़-II	220.03	...	220.03	286.00	...	286.00	364.45	...	364.45	416.00	...	416.00
5. भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढीकरण (साजी)	2.11	...	2.11	5.00	...	5.00	6.45	...	6.45	7.00	...	7.00
6. वास्तविक वसूली	-7.75	...	-7.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन</b>	<b>214.39</b>	...	<b>214.39</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>	<b>379.90</b>	...	<b>379.90</b>	<b>432.50</b>	...	<b>432.50</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>214.39</b>	...	<b>214.39</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>	<b>379.90</b>	...	<b>379.90</b>	<b>432.50</b>	...	<b>432.50</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
8. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,	10.74	...	10.74	20.74	...	20.74	14.00	...	14.00	16.00	...	16.00
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	67.97	...	67.97	140.00	...	140.00	83.95	...	83.95	100.00	...	100.00
10. भारतीय विधि संस्थान	4.41	...	4.41	5.31	...	5.31	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
11. संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस)	1.29	...	1.29	1.72	...	1.72	1.72	...	1.72	0.02	...	0.02
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>84.41</b>	...	<b>84.41</b>	<b>167.78</b>	...	<b>167.78</b>	<b>100.68</b>	...	<b>100.68</b>	<b>118.03</b>	...	<b>118.03</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>84.41</b>	...	<b>84.41</b>	<b>167.78</b>	...	<b>167.78</b>	<b>100.68</b>	...	<b>100.68</b>	<b>118.03</b>	...	<b>118.03</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>न्यायपालिका अवसंरचना सुविधाएं</b>												
12. ग्राम न्यायालय	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00
13. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा	566.09	...	566.09	595.01	...	595.01	538.76	...	538.76	621.21	...	621.21
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>566.09</b>	...	<b>566.09</b>	<b>600.01</b>	...	<b>600.01</b>	<b>543.76</b>	...	<b>543.76</b>	<b>629.21</b>	...	<b>629.21</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
<b>14. चुनाव के अंग</b>												
14.01 लोकसभा चुनाव	1314.96	...	1314.96	1761.43	...	1761.43	1761.43	...	1761.43	876.00	...	876.00
14.02 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	100.00	...	100.00
14.03 अन्य निर्वाचन व्यय	140.10	...	140.10	147.86	...	147.86	147.86	...	147.86	608.61	...	608.61
<b>जोड़- चुनाव के अंग</b>	<b>1495.06</b>	...	<b>1495.06</b>	<b>1949.29</b>	...	<b>1949.29</b>	<b>1949.29</b>	...	<b>1949.29</b>	<b>1584.61</b>	...	<b>1584.61</b>
15. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम	363.60	...	363.60	1700.00	...	1700.00	780.00	...	780.00	...	1000.00	1000.00
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>1858.66</b>	...	<b>1858.66</b>	<b>3649.29</b>	...	<b>3649.29</b>	<b>2729.29</b>	...	<b>2729.29</b>	<b>1584.61</b>	<b>1000.00</b>	<b>2584.61</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2942.37</b>	<b>6.82</b>	<b>2949.19</b>	<b>5011.99</b>	<b>88.01</b>	<b>5100.00</b>	<b>4032.97</b>	<b>30.32</b>	<b>4063.29</b>	<b>3072.39</b>	<b>1071.27</b>	<b>4143.66</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	338.68	...	338.68	516.19	...	516.19	481.63	...	481.63	564.39	...	564.39
2. चुनाव	1858.66	...	1858.66	3649.29	...	3649.29	2729.29	...	2729.29	1584.61	...	1584.61
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	65.27	...	65.27	73.48	...	73.48	85.01	...	85.01	98.35	...	98.35
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	96.19	...	96.19	126.81	...	126.81	120.06	...	120.06	135.41	...	135.41
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	17.48	...	17.48	21.21	...	21.21	23.88	...	23.88	22.17	...	22.17
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	6.82	6.82	...	88.01	88.01	...	30.32	30.32	...	1071.27	1071.27
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>2376.28</b>	<b>6.82</b>	<b>2383.10</b>	<b>4386.98</b>	<b>88.01</b>	<b>4474.99</b>	<b>3439.87</b>	<b>30.32</b>	<b>3470.19</b>	<b>2404.93</b>	<b>1071.27</b>	<b>3476.20</b>
<b>अन्य</b>												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	90.00	...	90.00	92.36	...	92.36	106.17	...	106.17
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	503.09	...	503.09	460.01	...	460.01	425.74	...	425.74	486.29	...	486.29
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	63.00	...	63.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>566.09</b>	...	<b>566.09</b>	<b>625.01</b>	...	<b>625.01</b>	<b>593.10</b>	...	<b>593.10</b>	<b>667.46</b>	...	<b>667.46</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2942.37</b>	<b>6.82</b>	<b>2949.19</b>	<b>5011.99</b>	<b>88.01</b>	<b>5100.00</b>	<b>4032.97</b>	<b>30.32</b>	<b>4063.29</b>	<b>3072.39</b>	<b>1071.27</b>	<b>4143.66</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा खण्ड, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्यायिक वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) तथा विदेशी मुद्रा हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण (ए.टी.एफ.ई.) के सचिवालय व्यय के लिए है।
3. **कानूनी सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन:** यह प्रावधान, कार्य अनुसंधान/आमूल परिवर्तन/ अध्ययन की निगरानी, संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन आदि करने के लिए न्यायिक वितरण, विधिक शिक्षा और अनुसंधान तथा कानूनी सुधारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए है।
4. **ई-कोर्ट फेज़-II:** यह प्रावधान वादियों, अधिवक्ताओं तथा न्यायतंत्र को नामित सेवा प्रदान करने के लिए देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बनाने हेतु ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए है।
5. **भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढीकरण (साजी):** यह प्रावधान न्याय विभाग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से 'वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच' पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए है।
6. **वास्तविक वसूली:** मुख्य शीर्ष 2020 और 2052 के तहत वास्तविक वसूली
7. **अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर):** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
8. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
9. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
10. **भारतीय विधि संस्थान:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
11. **संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस):** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
12. **ग्राम न्यायालय:** प्रावधान अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है
13. **न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा:** न्यायपालिका के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं: प्रावधान विधानमंडल और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।

- 14.01. **चुनाव के अंग:** प्रावधान जनरल लोकसभा चुनाव कराने के लिए शुल्क के संबंध में अग्नेनीत दायित्व को पूरा करने के लिए है।
- 14.02. **चुनाव के अंग:** प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों / संघ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।
- 14.03. **चुनाव के अंग:** प्रावधान राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य चुनावी खर्च पर केंद्र सरकार की प्रतिपूर्ति और तैयारी और मतदाता सूची का मुद्रण, आदि की लागत के लिए है
15. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** प्रावधान द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इकाइयों की खरीद के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए है।